बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कार्यालय – हबीबगंज मार्ग, भोपाल – 462 026

क्रमांक 07 /परीक्षा/2022 भोपाल, दिनांक 09.01.2023

अधिसूचना

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के पूर्व में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अध्यादेश 14A तथा 14B की अकादमिक संरचना अनुसार नियमित अध्ययन की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने संबंधी।)

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 874/88/सी.सी./22/38 भोपाल दिनांक 04.11.2022 के परिपालन में मध्यप्रदेश मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 लागू किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा अकादमिक सत्र 2021–22 से नवीन अकादमिक संरचना लागू की गयी है। विभाग के समक्ष यह प्रश्न उद्भूत हुआ है कि सत्र 2021–22 के पूर्व की पद्धति से स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण करने वाले जैसे विद्यार्थी जिनके अध्ययन में अवरोध हुआ है, उन्हें नवीन अकादमिक संरचना में किस प्रकार से नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार की समस्या तब भी उत्पन्न होगी जब कोई विद्यार्थी अन्य संस्था से उत्तीर्ण होकर मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेगें। मूल प्रश्न यह है कि यदि कोई विद्यार्थी भिन्न अकादमिक संरचना से उत्तीर्ण है तब उसे 14A तथा 14B द्वारा निर्धारित नवीन अकादमिक संरचना के अन्तर्गत किस प्रक्रिया से नियमित विद्यार्थी के रूप मे सम्मिलित किया जाए। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

01. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन (सत्र 2021–22) के पूर्व स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष वार्षिक पद्धति से उत्तीर्ण/पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को क्रमशः तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश प्रदान किया जाए। नियमित प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों का अध्यादेश 14A तथा 14B अनुसार शिक्षण एवं परीक्षा आयोजन किया जाए। स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा पुरानी पद्धति से आयोजित की जाए।
02. सत्र 2021–22 के पूर्व वार्षिक पद्धति से स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा सेमेस्टर पद्धति से द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण/पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को नियमित प्रवेश प्राप्त करने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम के शेष प्रश्नपत्र, प्रायोगिक कार्य, व्यवसायिक विषय तथा फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप/कम्युनिटी ऐंगेजमेंट एंड सर्विस आदि विषयों की परीक्षाओं को प्रवेशित कक्षा की परीक्षा के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी को नवीन पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने होंगे।
03. सेमेस्टर/वार्षिक की पुरानी पद्धति से उत्तीर्ण विद्यार्थी को ग्रेड प्रदान करने के लिए क्रमशः परिशिष्ट 1 एवं 2 अनुसार समतुल्यता निर्धारित की जाए जिससे उनका परीक्षा परिणाम समान रूप से तैयार किया जा सके। क्रेडिट गणना पत्रक परिशिष्ट–1 अनुसार तथा अध्यादेश क्रमांक 14 बी के अंतर्गत स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु गणना पत्रक परिशिष्ट–2 अनुसार होगा।
04. केन्द्रीय विश्वविद्यालय के यू.टी.डी राज्य विश्वविद्यालय के यू.टी.डी तथा स्वशासी महाविद्यालय के उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पात्रता/समतुल्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर नियमित शिक्षण/स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में पात्र होगें। इन विद्यार्थियों पर उपरोक्त सरल क्रमांक–1, 2, 3 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल

पृ. क्रमांक : 08 /परीक्षा/2022
भोपाल, दिनांक : 09.01.2023

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष/संबंधित महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उप–कुलसचिव, गोपनीय/अकादमी/भंडार, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
3. वित्त अधिकारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. मान.कुलपतिजी के सचिव, के माध्यम से मान.कुलपतिजी की ओर सूचनार्थ।
5. मान.कुलसचिव के निज सचिव, के माध्यम से मान.कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ।
6. प्रभारी, स्वागत एवं पूछताछ/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/जनसंपर्क अधिकारी/परीक्षा नियंत्रण कक्ष।
7. प्रभारी बेवसाइट ब.वि.वि. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित नस्ती।

9/1/23

परीक्षा नियंत्रक
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल